भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2459
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

तमिलनाडु में निजी कोचिंग केंद्रों का विनियमन

†2459. श्री अ. मनि:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं हेतु निजी कोचिंग केंद्रों के कामकाज और विनियमन का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुल्क संरचना में पारदर्शिता, शिक्षण की गुणवत्ता, छात्रों की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्मों, स्कूल-आधारित परामर्श और सरकार द्वारा समर्थित कोचिंग पहलों के माध्यम से धर्मपुरी सहित तमिलनाडु के ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों के छात्रों के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग सहायता की सुलभता को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में संचालित कोचिंग केंद्रों में पढ़ाई के अत्यधिक दबाव, भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित प्रथाओं, छात्रों के कल्याण हेतु अपर्याप्त उपायों या अन्य अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य वंचित समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और करियर मार्गदर्शन की समान सुलभता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): अनियमित निजी कोचिंग सेंटरों की संख्या में वृद्धि, छात्रों से अत्यधिक शुल्क लेने वाले ऐसे केंद्रों के उदाहरण, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन की हानि, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व और इन केंद्रों द्वारा अपनाई जा रही कई अनियमितताओं को ध्यान में

रखते हुए, मंत्रालय ने उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश प्रसारित किए हैं। कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं https://www.dohe-education.gov.in/documents/acts-and-policies/guidelines-for-regulation-of-coaching-center-ADNyE DOtQWa?pageTitle=Guidelines-for-Regulation-of-Coaching-Center

दिशा-निर्देशों में पंजीकरण के लिए शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट करने, शुल्क से संबंधित मामलों, कोचिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अवसंरचना की पूर्व-आवश्यकताओं को रेखांकित करने, कोचिंग सेंटर के लिए आचार संहिता स्थापित करने, मानसिक कल्याण के महत्व पर बल देने, बैच पृथक्करण नहीं करने, रिकॉर्ड के रखरखाव, शिकायत/शिकायत निवारण तंत्र आदि जैसे कई प्रमुख पहलू शामिल हैं। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कोचिंग सेंटर के लिए शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रमों/पाठ्यक्रम का विवरण और अवधि, लिए जा रहे शुल्क, आसान निकास नीति, शुल्क वापसी नीति, केंद्र से कोचिंग लेने वाले छात्रों की संख्या और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में अंततः सफल होने वाले छात्रों की संख्या आदि के अद्यतित विवरण के साथ एक वेबसाइट का प्रावधान है।

कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निजी कोचिंग और ट्यूशन कक्षाओं को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश/विनियम/कानून बनाए हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2026 भी जारी किए हैं, जिसमें कोचिंग केंद्रों के कामकाज में पारदर्शिता, गुणवत्ता, छात्र सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रावधान है। दिशानिर्देशों में शुल्क संरचनाओं, धनवापसी और निकास नीतियों और वेबसाइटों और संभावनाओं के माध्यम से अन्य प्रमुख जानकारी के पारदर्शी प्रकटीकरण का आदेश दिया गया है। दिशानिर्देश शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं भी निर्धारित करते हैं, भ्रामक दावों को प्रतिबंधित करते हैं, शिक्षकों के लिए परामर्शी सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य संवेदीकरण की आवश्यकता होती है, अनिवार्य संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा प्रमाणन, पर्याप्त स्वच्छता, सीसीटीवी निगरानी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, आपातकालीन तैयारी और शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, दिशानिर्देश अनिवार्य पंजीकरण, आवधिक निरीक्षण, रिकॉर्ड के रखरखाव, वार्षिक रिपोर्टिंग और गैर-अनुपालन के लिए पंजीकरण रद्द करने सहित दंड की आवश्यकता के द्वारा जवाबदेही को सुदृढ़ करते हैं।

(ख): शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए समन्वय में काम करते हैं। केंद्र, विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को सुधारात्मक कक्षाएं प्रदान कर रही हैं। साथी केंद्र की ऐसी ही एक पहल है जो नवंबर, 2023 में शुरू की गई थी ताकि छात्रों के लिए एक ऑनलाइन मूल्यांकन मॉड्यूल प्रदान करने के साथ साथ जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी

परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली निशुल्क सामग्री प्रदान की जा सके। यह वितरण के लिए वेब प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन, यूट्यूब लाइव सत्र और डीटीएच चैनलों का प्रयोग करता है। शिक्षार्थियों के लिए विषयों और विषयों से संबंधित 15,000 से अधिक क्यूरेटेड शिक्षण सामग्री के बहुभाषी वीडियो व्याख्यान उपलब्ध हैं। अब तक, इस पर 21.5 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं और प्लेटफॉर्म पर 400 मेंटर (आईआईटी, एम्स आदि से) उपलब्ध हैं, जिनमें से 89 हजार से अधिक छात्र तमिलनाडु से हैं।

प्लेटफ़ॉर्म "सॉल्व विद मी", 60,000 से अधिक प्रश्नों, एनसीईआरटी वीडियो समाधान, लाइव कक्षाएं और एनसीईआरटी आधारित शिक्षण आदि के साथ मूल्यांकन प्लेटफ़ॉर्म जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है । एआई आधारित प्रभावी परीक्षा कार्यनीतियों की तैयारी के बारे में मूल्यवान सुझाव प्रदान करने के लिए टूल (चैटबॉट) को एकीकृत किया गया है। प्रतिक्रिया तंत्र को एआई एकीकरण के साथ सहयोग दिया जाता है। जेईई से संबंधित सामग्री, नीट, एसएससी आदि भी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाती है। छात्र वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

(ग): कोचिंग सेंटरों के कामकाज में कथित कदाचार और अनियमितताओं के संबंध में आपत्ति और शिकायतें समय-समय पर मंत्रालय में प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं। भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों से संबंधित शिकायतें भी उचित कार्रवाई के लिए सीसीपीए को भेजी जाती हैं।

(घ): वंचित समूहों के लिए पहुंच में समानता प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार हाशिए के वर्गों से संबंधित छात्रों का सहयोग करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता योजनाओं को कार्यान्वित करती है। उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना को कार्यान्वित करता है जिसके तहत भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र शामिल हैं, को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति मिलती है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के लिए संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए नवंबर 2024 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी शुरू की है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं- उच्चतर शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (टॉप क्लास) भी कार्यान्वित कर रहा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) प्रदान करता है, जो अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएमएस-एससी योजना एक खुली और मांग-आधारित योजना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते अपने नामित छात्रवृत्ति पोर्टलों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित, सत्यापित और वितरण करती है।

सरकार ने छात्रों के बीच सजग करियर योजना में सहयोग करने के लिए 500 करियर कार्ड और माय करियर एडवाइजर ऐप युक्त करियर गाइड बुक लॉन्च की है। ये संसाधन पात्रता, आवश्यक योग्यता, करियर के माध्यम और रोजगार के अवसरों सहित करियर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे छात्र सूचित शैक्षणिक और करियर विकल्प बना सकते हैं।

मंत्रालय ने छात्रों को एआई-सक्षम करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माई करियर एडवाइजर ऐप शुरू किया है। यह ऐप योग्यता, रुचि और मूल्यों के आकलन के माध्यम से सूचित करियर योजना की सुविधा प्रदान करता है, 1,500 से अधिक करियर विकल्पों और नौकरी की भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, और व्यक्तिगत करियर सिफारिशें प्रदान करता है। 500 करियर कार्ड वाली करियर गाइड बुक विविध करियर मार्गों, पात्रता, आवश्यक योग्यता और भविष्य के अवसरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने वाला ऐप का पूरक है।
